



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112025-267604
CG-DL-E-12112025-267604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 750]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 750]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

सं. 32/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा. का. नि. 836(अ).— जबकि वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'मिश्र धातु या गैर मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद', (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ शीर्षक 7208, 7211, 7225 या 7226 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 06/15/2024-डीजीटीआर, दिनांक 13 अगस्त, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 13 अगस्त, 2025 को प्रकाशित किया गया था, के तहत अन्य बातों के अलावा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

- विषयगत वस्तुओं को विषयगत देश से भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;
- पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है;
- यदि विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होने का खतरा है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची की उस टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र सं	टैरिफ शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7208,7211,7225 और 7226	मिश्र धातु या गैर मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद, नॉट क्लैड, नॉट प्लेटेड, या कोटेड, 25 एमएम तक की मोटाई और 2100 एमएम तक की चौड़ाई के	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	होआ फाट डुंग क्वाट स्टील जेएससी	शून्य	एमटी	यूएसडी
2	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	कोई	121.55	एमटी	यूएसडी
3	-वही-	--वही-	वियतनाम के अलावा कोई भी देश	वियतनाम	कोई	121.55	एमटी	यूएसडी

नोट 1: सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

नोट 2 : विचाराधीन उत्पाद में स्टेनलेस स्टील के हॉट-रोलड फ्लैट उत्पाद शामिल नहीं हैं।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों हेतु, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजनों हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया है, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख होगी।

[फा. सं. 190354/135/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Revenue)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2025

No. 32/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 836(E).— Whereas in the matter of ‘Hot rolled flat products of alloy or non-alloy steel’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff heading 7208, 7211, 7225 or 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification No. 06/15/2024-DGTR, dated the 13th August, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th August, 2025, has *inter-alia* come to the conclusion that—

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country at a price below the normal value, resulting in dumping;
- (ii) the domestic industry has suffered injury as a result of dumped imports;
- (iii) there is also threat of further aggravated injury to the domestic industry, if anti-dumping duty is not imposed on import of subject goods from subject country,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8), of the said Table, namely:-

Table

S No.	Tariff Heading	Description of the goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7208,7211,7225 and 7226	Hot rolled flat products of alloy or non-alloy steel, not clad, not plated or coated, of a thickness upto 25 mm and width upto 2100 mm	Vietnam	Any Country including Vietnam	Hoa Phat Dung Quat Steel JSC	NIL	MT	USD
2	-do-	-do-	Vietnam	Any Country including Vietnam	Any	121.55	MT	USD
3	-do-	-do-	Any country other than Vietnam	Vietnam	Any	121.55	MT	USD

Note 1 : The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the subject goods.

Note 2 : Subject goods do not cover hot-rolled flat products of stainless steel.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 190354/135/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.